



नगर निगम, रोहतक
Municipal Corporation, Rohtak

संपत्ति कर बिल सह नोटिस 2018-19 / Property Tax Bill Cum Notice 2018-19

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------|-------------|------------------|-----------------------|----------|----|
| Property ID | 51C26U134 | House No | 274 | Old Ast./Wrd No. | | Ward No. | 13 |
| Bill No | MCR/0917678 | Bill Date | 20/May/2018 | Colony Code/Name | 51/New Rajender Nagar | Zone | 1 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Particulars of Owner(s)/Occupier(s) | | | | U/S 130 Manner of recovering tax or fee - जो भी राशि जो हाउस टैक्स से सम्बंधित है जोकि U/S 130 अधिनियम के तहत आती है उसकी अदायगी की वसूली जोकि निम्नलिखित तरीकों से की जा सकेगी:- 1. भू राजस्व की बकाया राशि। 2. या फिर जब्त करके और डिफाल्टर की चल प्रोपर्टी बेचकर वसूल की जा सकती है। 3. या फिर डिफाल्टर की प्रोपर्टी अचल अटैच करके का बेचकर। 4. या फिर डिफाल्टर के वाहन (कार, स्कूटर व अन्य वाहन) को काबू करके या बेचकर वसूल कर सकते हैं। 5. अगर हाउस टैक्स किसी भूमि या फिर किसी भवन का है तो उसे अटैच करके उसके किराये को जब्त करके वसूल किया जा सकता है। 6. कोर्ट में केस डालकर। | | | |
| Name | Harish Kumar | | | | | | |
| S/D/W/o | S/o Raghuvir Singh | | | | | | |
| Address | New Rajender Nagar, Rohtak | | | | | | |
| Mobile | | | | | | | |

* नोट: - यह संपत्ति कर बिल एवं नोटिस केवल संपत्ति कर उद्देश्य के लिए है जो संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण नहीं है और किसी दस्तावेज़ के पंजीकरण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। सम्पत्ति मालिकों से अनुरोध है कि वे अपना फोन नंबर अपनी प्रॉपर्टी आई0 डी0 के साथ निगम कार्यालय में दर्ज कराये ताकि सरकार द्वारा समय समय पर दी जाने वाली छूट और नीति परिवर्तन के बारे में अवगत कराया जा सके।

* नगर निगम, रोहतक द्वारा सम्पत्तिकर सर्वे के उपरांत निम्न वर्णित सम्पत्ति का कर आंकलन एवं सूचना जारी की गई है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने की सूरत में सबूत के साथ प्रतिवेदन कर सकते हैं। अन्यथा अपना कर जमा करवायें। कर जमा ना कराने की सूरत में देय राशि पर 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज देना होगा। नगर निगम द्वारा सरकार की हिदायत अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक चालू वित्तीय वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर 10% छूट दी जाएगी बशर्ते उस संपत्ति पर कोई पिछला बकाया ना हो, सरकार द्वारा सम्पत्तिकर के लिए स्वयं आंकलन का प्रावधान भी किया हुआ है, कर दाता अपनी संपत्ति का स्वयं आंकलन सरकार की कर नीति के अनुसार कर सकते हैं, स्वयं आंकलन से कर जमा करने पर कर की गणना में 10% से अधिक भिन्नता पाये जाने पर गलत घोषणा की दशा में कर अंश की राशि के समकक्ष शास्ति उदग्रहीत की जायेगी।
* हरियाणा सरकार की अधिसूचना नम्बर 14/153-2011-4C/दिनांक 24-10-2011 के अनुसार ठोस कूड़ा प्रबन्धन के लिए User Charges लगाये हुए हैं, जिस की गणना निम्न तालिका के कॉलम W व X में वर्णित की गयी है। यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष का अग्रिम user charges जमा करता है तो वह एक वर्ष के user charges पर 10% छूट का पात्र होगा। परन्तु यह छूट प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई तक user charges जमा कराने पर दी जाएगी।

सर्वेक्षण के अनुसार नगर निगम द्वारा लगाए गए करो का विवरण / As per survey, details of the taxes imposed by the Municipal Corporation

Property and Fire Tax Details (Amount in Rupees)

| Total Plot Area (Sqr. Yrd) | Floor | Category | Sub Category | Covered Area | Usage (S/R) | Tax Rate (₹) | Property Tax Annual (₹) | Fire Tax Annual (₹) |
|----------------------------|-------|----------|--------------|----------------|-------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 290.00 | GF | Resi | - | 1638.00 | S | 0.750 | 136.50 | 0.00 |
| - | GF | Resi | - | 972.00 | S | 0.750 | 81.00 | 0.00 |
| - | 1F | Resi | - | 900.00 | S | 60% of 0.75 | 45.00 | 0.00 |
| - | 1F | Resi | - | 1710.00 | S | 60% of 0.75 | 85.50 | 0.00 |
| Total: | | | | 5220.00 | | | 348.00 | 0.00 |
| Payable Annually: | | | | | | | | 348.00 |

Property Tax Collection & Arrear Detail (Amount in Rupees)

| Arrear as on 31/03/2011 | | Demand from 01/04/2011 to 31/03/2018 | | Collection from 01/04/2011 to 31/03/2018 | | Arrear as on 01/04/2018 | | Interest | Total |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|------------|--|------------|-------------------------|------------|---------------------|--------|
| P. Tax (₹) | F. Tax (₹) | P. Tax (₹) | F. Tax (₹) | P. Tax (₹) | F. Tax (₹) | P. Tax (₹) | F. Tax (₹) | @1.5% per month (₹) | (₹) |
| J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
| 0.00 | 0.00 | 2436.00 | 0.00 | 2088.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 62.64 | 410.64 |

User Charges Details (Amount in Rupees)

| Total Plot Area (Sqr. Yrd) | Property Category | User Charges Rate (monthly) (₹) | User Charges Amt (annual) (₹) | User Charges Amt (annual, if paid by 31/07/2018) (₹) |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| T | U | V | W | X |
| 290.00 | Resi | 50 | 600 | 540 |

| | | |
|---|--|---------------|
| Payment can be deposited at the office of Municipal Corporation, Rohtak, through an A/c payee cheque or a demand draft in favour of, 'Commissioner, Municipal Corporation, Rohtak'. No Cheque will be accepted until the 'Permanent property ID', 'phone number', 'assessment year' is mentioned on the back of cheque. | Property Tax (Y) = (H + P + R): | ₹ 758.64 |
| | 10% Rebate if complete amount paid by 31-07-2018: | ₹ -34.8 |
| | Property Tax by 31-07-2018 (Z): | ₹ 723.84 |
| | Fire Tax (AA) = (I + Q): | ₹ 0.00 |
| | Payment Rcvd in 2018-19 (P. Tax + F. Tax + Interest + User Charges) (AB): | ₹ 0.00 |
| | Grand Total (X + Z + AA - AB): | ₹ 1264 |
| | If paid after 31-07-2018 - Grand Total (W + Y + AA - AB): | ₹ 1359 |

यह बिल कंप्यूटर द्वारा मुद्रित है अतः इस पर नगर निगम, रोहतक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर पूर्व मुद्रित है | This is Computer generated bill, Hence the signature of Authorised Official of M.C. Rohtak is already printed.

नगर निगम, रोहतक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर/
Signature of Authorised Official of M.C. Rohtak



नगर निगम, रोहतक
Municipal Corporation, Rohtak

संपत्ति कर बिल सह नोटिस 2018-19 / Property Tax Bill Cum Notice 2018-19

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------|-------------|------------------|-----------------------|----------|----|
| Property ID | 51C28U132 | House No | 271 | Old Ast./Wrd No. | | Ward No. | 13 |
| Bill No | MCR/0917680 | Bill Date | 20/May/2018 | Colony Code/Name | 51/New Rajender Nagar | Zone | 1 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Particulars of Owner(s)/Occupier(s) | | U/S 130 Manner of recovering tax or fee - जो भी राशि जो हाउस टैक्स से सम्बंधित है जोकि U/S 130 अधिनियम के तहत आती है उसकी अदायगी की वसूली जोकि निम्नलिखित तरीकों से की जा सकेगी:- 1. भू राजस्व की बकाया राशि। 2. या फिर जब्त करके और डिफाल्टर की चल प्रोपर्टी बेचकर वसूल की जा सकती है। 3. या फिर डिफाल्टर की प्रोपर्टी अचल अटैच करके का बेचकर। 4. या फिर डिफाल्टर के वाहन (कार, स्कूटर व अन्य वाहन) को काबू करके या बेचकर वसूल कर सकते हैं। 5. अगर हाउस टैक्स किसी भूमि या फिर किसी भवन का है तो उसे अटैच करके उसके किराये को जब्त करके वसूल किया जा सकता है। 6. कोर्ट में केस डालकर। | | | | | |
| Name | | | | | | | |
| S/D/W/o | | | | | | | |
| Address | | New Rajender Nagar, Rohtak | | | | | |
| Mobile | | | | | | | |

* नोट: - यह संपत्ति कर बिल एवं नोटिस केवल संपत्ति कर उद्देश्य के लिए है जो संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण नहीं है और किसी दस्तावेज़ के पंजीकरण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। सम्पत्ति मालिकों से अनुरोध है कि वे अपना फोन नंबर अपनी प्रॉपर्टी आई0 डी0 के साथ निगम कार्यालय में दर्ज कराये ताकि सरकार द्वारा समय समय पर दी जाने वाली छूट और नीति परिवर्तन के बारे में अवगत कराया जा सके।

* नगर निगम, रोहतक द्वारा सम्पत्तिकर सर्वे के उपरांत निम्न वर्णित सम्पत्ति का कर आंकलन एवं सूचना जारी की गई है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने की सूरत में सबूत के साथ प्रतिवेदन कर सकते हैं। अन्यथा अपना कर जमा करवायें। कर जमा ना कराने की सूरत में देय राशि पर 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज देना होगा। नगर निगम द्वारा सरकार की हिदायत अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक चालू वित्तीय वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर 10% छूट दी जाएगी बशर्ते उस संपत्ति पर कोई पिछला बकाया ना हो, सरकार द्वारा सम्पत्तिकर के लिए स्वयं आंकलन का प्रावधान भी किया हुआ है, कर दाता अपनी संपत्ति का स्वयं आंकलन सरकार की कर नीति के अनुसार कर सकते हैं, स्वयं आंकलन से कर जमा करने पर कर की गणना में 10% से अधिक भिन्नता पाये जाने पर गलत घोषणा की दशा में कर अचलन की राशि के समकक्ष शास्ति उदग्रहीत की जायेगी।

* हरियाणा सरकार की अधिसूचना नम्बर 14/153-2011-4C/दिनांक 24-10-2011 के अनुसार ठोस कूड़ा प्रबन्धन के लिए User Charges लगाये हुए हैं, जिस की गणना निम्न तालिका के कॉलम W व X में वर्णित की गयी है। यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष का अग्रिम user charges जमा करता है तो वह एक वर्ष के user charges पर 10% छूट का पात्र होगा। परन्तु यह छूट प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई तक user charges जमा कराने पर दी जाएगी।

सर्वेक्षण के अनुसार नगर निगम द्वारा लगाए गए करो का विवरण / As per survey, details of the taxes imposed by the Municipal Corporation

Property and Fire Tax Details (Amount in Rupees)

| Total Plot Area (Sqr. Yrd) | Floor | Category | Sub Category | Covered Area | Usage (S/R) | Tax Rate (₹) | Property Tax Annual (₹) | Fire Tax Annual (₹) |
|----------------------------|-------|----------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 3540.00 | GF | Resi | - | 100.00 | S | 5.250 | 58.33 | 0.00 |
| - | GF | Resi | - | 31760.00 | S | 5.250 | 18526.66 | 0.00 |
| Total: | | | | 31860.00 | | | 18584.99 | 0.00 |
| Payable Annually: | | | | | | | 18584.99 | |

Property Tax Collection & Arrear Detail (Amount in Rupees)


| Arrear as on 31/03/2011 | | Demand from 01/04/2011 to 31/03/2018 | | Collection from 01/04/2011 to 31/03/2018 | | Arrear as on 01/04/2018 | | Interest | Total |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|------------|--|------------|-------------------------|------------|---------------------|-----------|
| P. Tax (₹) | F. Tax (₹) | P. Tax (₹) | F. Tax (₹) | P. Tax (₹) | F. Tax (₹) | P. Tax (₹) | F. Tax (₹) | @1.5% per month (₹) | (₹) |
| J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
| 0.00 | 0.00 | 130094.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130094.96 | 0.00 | 93668.38 | 223763.34 |

User Charges Details (Amount in Rupees)

| Total Plot Area (Sqr. Yrd) | Property Category | User Charges Rate (monthly) (₹) | User Charges Amt (annual) (₹) | User Charges Amt (annual, if paid by 31/07/2018) (₹) |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| T | U | V | W | X |
| 3540.00 | Resi | 100 | 1200 | 1080 |

| | | |
|---|--|-----------------|
| Payment can be deposited at the office of Municipal Corporation, Rohtak, through an A/c payee cheque or a demand draft in favour of, 'Commissioner, Municipal Corporation, Rohtak'. No Cheque will be accepted until the 'Permanent property ID', 'phone number', 'assessment year' is mentioned on the back of cheque. | Property Tax (Y) = (H + P + R): | ₹ 242348.33 |
| | 10% Rebate if complete amount paid by 31-07-2018: | ₹ -1858.499 |
| | Property Tax by 31-07-2018 (Z): | ₹ 240489.831 |
| | Fire Tax (AA) = (I + Q): | ₹ 0.00 |
| | Payment Rcvd in 2018-19 (P. Tax + F. Tax + Interest + User Charges) (AB): | ₹ 0.00 |
| | Grand Total (X + Z + AA - AB): | ₹ 241570 |
| | If paid after 31-07-2018 - Grand Total (W + Y + AA - AB): | ₹ 243548 |

यह बिल कंप्यूटर द्वारा मुद्रित है अतः इस पर नगर निगम, रोहतक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर पूर्व मुद्रित है। This is Computer generated bill, Hence the signature of Authorised Official of M.C. Rohtak is already printed.


नगर निगम, रोहतक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर/
Signature of Authorised Official of M.C. Rohtak



नगर निगम, रोहतक
Municipal Corporation, Rohtak

संपत्ति कर बिल सह नोटिस 2018-19 / Property Tax Bill Cum Notice 2018-19

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------|-------------|------------------|-----------------------|----------|----|
| Property ID | 51C103U64 | House No | | Old Ast./Wrd No. | | Ward No. | 13 |
| Bill No | MCR/0917744 | Bill Date | 20/May/2018 | Colony Code/Name | 51/New Rajender Nagar | Zone | 1 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Particulars of Owner(s)/Occupier(s) | | | | U/S 130 Manner of recovering tax or fee - जो भी राशि जो हाउस टैक्स से सम्बंधित है जोकि U/S 130 अधिनियम के तहत आती है उसकी अदायगी की वसूली जोकि निम्नलिखित तरीकों से की जा सकेगी:- 1. भू-राजस्व की बकाया राशि। 2. या फिर जब्त करके और डिफाल्टर की चल प्रोपर्टी बेचकर वसूल की जा सकती है। 3. या फिर डिफाल्टर की प्रोपर्टी अचल अटैच करके का बेचकर। 4. या फिर डिफाल्टर के वाहन (कार, स्कूटर व अन्य वाहन) को काबू करके या बेचकर वसूल कर सकते हैं। 5. अगर हाउस टैक्स किसी भूमि या फिर किसी भवन का है तो उसे अटैच करके उसके किराये को जब्त करके वसूल किया जा सकता है। 6. कोर्ट में केस डालकर। | | | |
| Name | | | | | | | |
| S/D/W/o | | | | | | | |
| Address | | | | New Rajender Nagar, Rohtak | | | |
| Mobile | | | | | | | |

* नोट: - यह संपत्ति कर बिल एवं नोटिस केवल संपत्ति कर उद्देश्य के लिए है जो संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण नहीं है और किसी दस्तावेज़ के पंजीकरण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। सम्पत्ति मालिकों से अनुरोध है कि वे अपना फोन नंबर अपनी प्रॉपर्टी आई0 डी0 के साथ निगम कार्यालय में दर्ज कराये ताकि सरकार द्वारा समय समय पर दी जाने वाली छूट और नीति परिवर्तन के बारे में अवगत कराया जा सके।

* नगर निगम, रोहतक द्वारा सम्पत्तिकर सर्वे के उपरांत निम्न वर्णित सम्पत्ति का कर आंकलन एवं सूचना जारी की गई है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने की सूरत में सबूत के साथ प्रतिवेदन कर सकते हैं। अन्यथा अपना कर जमा करवायें। कर जमा ना कराने की सूरत में देय राशि पर 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज देना होगा। नगर निगम द्वारा सरकार की हिदायत अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक चालू वित्तीय वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर 10% छूट दी जाएगी बशर्ते उस संपत्ति पर कोई पिछला बकाया ना हो, सरकार द्वारा सम्पत्तिकर के लिए स्वयं आंकलन का प्रावधान भी किया हुआ है, कर दाता अपनी संपत्ति का स्वयं आंकलन सरकार की कर नीति के अनुसार कर सकते हैं, स्वयं आंकलन से कर जमा करने पर कर की गणना में 10% से अधिक भिन्नता पाये जाने पर गलत घोषणा की दशा में कर अंश की राशि के समकक्ष शास्ति उदग्रहीत की जायेगी।
* हरियाणा सरकार की अधिसूचना नम्बर 14/153-2011-4C/दिनांक 24-10-2011 के अनुसार ठोस कूड़ा प्रबन्धन के लिए User Charges लगाये हुए हैं, जिस की गणना निम्न तालिका के कॉलम W व X में वर्णित की गयी है। यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष का अग्रिम user charges जमा करता है तो वह एक वर्ष के user charges पर 10% छूट का पात्र होगा। परन्तु यह छूट प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई तक user charges जमा कराने पर दी जाएगी।

सर्वेक्षण के अनुसार नगर निगम द्वारा लगाए गए करो का विवरण / As per survey, details of the taxes imposed by the Municipal Corporation


| Property and Fire Tax Details (Amount in Rupees) | | | | | | | | |
|--|-------|----------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| Total Plot Area (Sqr. Yrd) | Floor | Category | Sub Category | Covered Area | Usage (S/R) | Tax Rate (₹) | Property Tax Annual (₹) | Fire Tax Annual (₹) |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 3319.00 | | MA | - | 0.00 | S | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| - | | MA | - | 29871.00 | S | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Total: | | | | 29871.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Payable Annually: | | | | | | | | 0.00 |

| Property Tax Collection & Arrear Detail (Amount in Rupees) | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------------|------------|--|------------|-------------------------|------------|---------------------|-------|
| Arrear as on 31/03/2011 | | Demand from 01/04/2011 to 31/03/2018 | | Collection from 01/04/2011 to 31/03/2018 | | Arrear as on 01/04/2018 | | Interest | Total |
| P. Tax (₹) | F. Tax (₹) | P. Tax (₹) | F. Tax (₹) | P. Tax (₹) | F. Tax (₹) | P. Tax (₹) | F. Tax (₹) | @1.5% per month (₹) | (₹) |
| J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| User Charges Details (Amount in Rupees) | | | | |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|------|
| Total Plot Area (Sqr. Yrd) | Property Category | User Charges Rate (monthly) (₹) | User Charges Amt (annual) (₹) | |
| T | U | V | W | |
| 3319.00 | MA | 150 | 1800 | 1620 |

| | | |
|---|--|---------------|
| Payment can be deposited at the office of Municipal Corporation, Rohtak, through an A/c payee cheque or a demand draft in favour of, 'Commissioner, Municipal Corporation, Rohtak'. No Cheque will be accepted until the 'Permanent property ID', 'phone number', 'assessment year' is mentioned on the back of cheque. | Property Tax (Y) = (H + P + R): | ₹ 0.00 |
| | 10% Rebate if complete amount paid by 31-07-2018: | ₹ 0 |
| | Property Tax by 31-07-2018 (Z): | ₹ 0 |
| | Fire Tax (AA) = (I + Q): | ₹ 0.00 |
| | Payment Rcvd in 2018-19 (P. Tax + F. Tax + Interest + User Charges) (AB): | ₹ 0.00 |
| | Grand Total (X + Z + AA - AB): | ₹ 1620 |
| | If paid after 31-07-2018 - Grand Total (W + Y + AA - AB): | ₹ 1800 |

यह बिल कंप्यूटर द्वारा मुद्रित है अतः इस पर नगर निगम, रोहतक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर पूर्व मुद्रित है। This is Computer generated bill, Hence the signature of Authorised Official of M.C. Rohtak is already printed.


नगर निगम, रोहतक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर/
Signature of Authorised Official of M.C. Rohtak



नगर निगम, रोहतक
Municipal Corporation, Rohtak

संपत्ति कर बिल सह नोटिस 2018-19 / Property Tax Bill Cum Notice 2018-19

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------|-------------|------------------|-----------------------|----------|----|
| Property ID | 51C105U64B | House No | 208 | Old Ast./Wrd No. | | Ward No. | 13 |
| Bill No | MCR/0917746 | Bill Date | 20/May/2018 | Colony Code/Name | 51/New Rajender Nagar | Zone | 1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Particulars of Owner(s)/Occupier(s) | | | | U/S 130 Manner of recovering tax or fee - जो भी राशि जो हाउस टैक्स से सम्बंधित है जोकि U/S 130 अधिनियम के तहत आती है उसकी अदायगी की वसूली जोकि निम्नलिखित तरीकों से की जा सकेगी:- 1. भू-राजस्व की बकाया राशि। 2. या फिर जब्त करके और डिफाल्टर की चल प्रोपर्टी बेचकर वसूल की जा सकती है। 3. या फिर डिफाल्टर की प्रोपर्टी अचल अटैच करके का बेचकर। 4. या फिर डिफाल्टर के वाहन (कार, स्कूटर व अन्य वाहन) को काबू करके या बेचकर वसूल कर सकते हैं। 5. अगर हाउस टैक्स किसी भूमि या फिर किसी भवन का है तो उसे अटैच करके उसके किराये को जब्त करके वसूल किया जा सकता है। 6. कोर्ट में केस डालकर। | | | |
| Name Rekha Rani | | | | | | | |
| S/D/W/o W/o Ram Niwas | | | | | | | |
| Address 118, New Rajender Nagar, Rohtak | | | | | | | |
| Mobile | | | | | | | |

* नोट: - यह संपत्ति कर बिल एवं नोटिस केवल संपत्ति कर उद्देश्य के लिए है जो संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण नहीं है और किसी दस्तावेज़ के पंजीकरण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। संपत्ति मालिकों से अनुरोध है कि वे अपना फोन नंबर अपनी प्रॉपर्टी आई0 डी0 के साथ निगम कार्यालय में दर्ज कराये ताकि सरकार द्वारा समय समय पर दी जाने वाली छूट और नीति परिवर्तन के बारे में अवगत कराया जा सके।

* नगर निगम, रोहतक द्वारा संपत्तिकर सर्वे के उपरांत निम्न वर्णित संपत्ति का कर आंकलन एवं सूचना जारी की गई है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने की सूरत में सबूत के साथ प्रतिवेदन कर सकते हैं। अन्यथा अपना कर जमा करवायें। कर जमा ना कराने की सूरत में देय राशि पर 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज देना होगा। नगर निगम द्वारा सरकार की हिदायत अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक चालू वित्तीय वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर 10% छूट दी जाएगी बशर्ते उस संपत्ति पर कोई पिछला बकाया ना हो, सरकार द्वारा संपत्तिकर के लिए स्वयं आंकलन का प्रावधान भी किया हुआ है, कर दाता अपनी संपत्ति का स्वयं आंकलन सरकार की कर नीति के अनुसार कर सकते हैं, स्वयं आंकलन से कर जमा करने पर कर की गणना में 10% से अधिक भिन्नता पाये जाने पर गलत घोषणा की दशा में कर अवंचन की राशि के समकक्ष शास्ति उदग्रहीत की जायेगी।
* हरियाणा सरकार की अधिसूचना नम्बर 14/153-2011-4C/दिनांक 24-10-2011 के अनुसार ठोस कूड़ा प्रबन्धन के लिए User Charges लगाये हुए हैं, जिस की गणना निम्न तालिका के कॉलम W व X में वर्णित की गयी है। यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष का अग्रिम user charges जमा करता है तो वह एक वर्ष के user charges पर 10% छूट का पात्र होगा। परन्तु यह छूट प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई तक user charges जमा कराने पर दी जाएगी।

सर्वेक्षण के अनुसार नगर निगम द्वारा लगाए गए करो का विवरण / As per survey, details of the taxes imposed by the Municipal Corporation

Property and Fire Tax Details (Amount in Rupees)

| Total Plot Area (Sqr. Yrd) | Floor | Category | Sub Category | Covered Area | Usage (S/R) | Tax Rate (₹) | Property Tax Annual (₹) | Fire Tax Annual (₹) |
|----------------------------|-------|----------|--------------|----------------|-------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 120.00 | GF | Resi | - | 900.00 | S | 0.750 | 75.00 | 0.00 |
| - | GF | Resi | - | 180.00 | S | 0.750 | 15.00 | 0.00 |
| - | 1F | Resi | - | 450.00 | S | 60% of 0.75 | 22.50 | 0.00 |
| - | 1F | Resi | - | 630.00 | S | 60% of 0.75 | 31.50 | 0.00 |
| Total: | | | | 2160.00 | | | 144.00 | 0.00 |
| Payable Annually: | | | | | | | 144.00 | |

Property Tax Collection & Arrear Detail (Amount in Rupees)

| Arrear as on 31/03/2011 | | Demand from 01/04/2011 to 31/03/2018 | | Collection from 01/04/2011 to 31/03/2018 | | Arrear as on 01/04/2018 | | Interest | Total |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|------------|--|------------|-------------------------|------------|---------------------|--------|
| P. Tax (₹) | F. Tax (₹) | P. Tax (₹) | F. Tax (₹) | P. Tax (₹) | F. Tax (₹) | P. Tax (₹) | F. Tax (₹) | @1.5% per month (₹) | (₹) |
| J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
| 0.00 | 0.00 | 810.00 | 0.00 | 666.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 25.92 | 169.92 |

User Charges Details (Amount in Rupees)

| Total Plot Area (Sqr. Yrd) | Property Category | User Charges Rate (monthly) (₹) | User Charges Amt (annual) (₹) | User Charges Amt (annual, if paid by 31/07/2018) (₹) |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| T | U | V | W | X |
| 120.00 | Resi | 40 | 480 | 432 |

| | | |
|---|--|--------------|
| Payment can be deposited at the office of Municipal Corporation, Rohtak, through an A/c payee cheque or a demand draft in favour of, 'Commissioner, Municipal Corporation, Rohtak'. No Cheque will be accepted until the 'Permanent property ID', 'phone number', 'assessment year' is mentioned on the back of cheque. | Property Tax (Y) = (H + P + R): | ₹ 313.92 |
| | 10% Rebate if complete amount paid by 31-07-2018: | ₹ -14.4 |
| | Property Tax by 31-07-2018 (Z): | ₹ 299.52 |
| | Fire Tax (AA) = (I + Q): | ₹ 0.00 |
| | Payment Rcvd in 2018-19 (P. Tax + F. Tax + Interest + User Charges) (AB): | ₹ 0.00 |
| | Grand Total (X + Z + AA - AB): | ₹ 732 |
| | If paid after 31-07-2018 - Grand Total (W + Y + AA - AB): | ₹ 794 |

यह बिल कंप्यूटर द्वारा मुद्रित है अतः इस पर नगर निगम, रोहतक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर पूर्व मुद्रित है | This is Computer generated bill, Hence the signature of Authorised Official of M.C. Rohtak is already printed.

नगर निगम, रोहतक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर/
Signature of Authorised Official of M.C. Rohtak



नगर निगम, रोहतक
Municipal Corporation, Rohtak

संपत्ति कर बिल सह नोटिस 2018-19 / Property Tax Bill Cum Notice 2018-19

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------|-------------|------------------|-----------------------|----------|----|
| Property ID | 51C111U64H | House No | 208 | Old Ast./Wrd No. | | Ward No. | 13 |
| Bill No | MCR/0917752 | Bill Date | 20/May/2018 | Colony Code/Name | 51/New Rajender Nagar | Zone | 1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Particulars of Owner(s)/Occupier(s) | | | | U/S 130 Manner of recovering tax or fee - जो भी राशि जो हाउस टैक्स से सम्बंधित है जोकि U/S 130 अधिनियम के तहत आती है उसकी अदायगी की वसूली जोकि निम्नलिखित तरीकों से की जा सकेगी:- 1. भू-राजस्व की बकाया राशि। 2. या फिर जब्त करके और डिफाल्टर की चल प्रोपर्टी बेचकर वसूल की जा सकती है। 3. या फिर डिफाल्टर की प्रोपर्टी अचल अटैच करके का बेचकर। 4. या फिर डिफाल्टर के वाहन (कार, स्कूटर व अन्य वाहन) को काबू करके या बेचकर वसूल कर सकते हैं। 5. अगर हाउस टैक्स किसी भूमि या फिर किसी भवन का है तो उसे अटैच करके उसके किराये को जब्त करके वसूल किया जा सकता है। 6. कोर्ट में केस डालकर। | | | |
| Name Om Pati Devi | | | | | | | |
| S/D/W/o W/o Jai Karan Sharma | | | | | | | |
| Address 124, New Rajender Nagar, Rohtak | | | | | | | |
| Mobile | | | | | | | |

* नोट: - यह संपत्ति कर बिल एवं नोटिस केवल संपत्ति कर उद्देश्य के लिए है जो संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण नहीं है और किसी दस्तावेज़ के पंजीकरण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। सम्पत्ति मालिकों से अनुरोध है कि वे अपना फोन नंबर अपनी प्रॉपर्टी आई0 डी0 के साथ निगम कार्यालय में दर्ज कराये ताकि सरकार द्वारा समय समय पर दी जाने वाली छूट और नीति परिवर्तन के बारे में अवगत कराया जा सके।

* नगर निगम, रोहतक द्वारा सम्पत्तिकर सर्वे के उपरांत निम्न वर्णित सम्पत्ति का कर आंकलन एवं सूचना जारी की गई है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने की सूरत में सबूत के साथ प्रतिवेदन कर सकते हैं। अन्यथा अपना कर जमा करवायें। कर जमा ना कराने की सूरत में देय राशि पर 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज देना होगा। नगर निगम द्वारा सरकार की हिदायत अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक चालू वित्तीय वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर 10% छूट दी जाएगी बशर्ते उस संपत्ति पर कोई पिछला बकाया ना हो, सरकार द्वारा सम्पत्तिकर के लिए स्वयं आंकलन का प्रावधान भी किया हुआ है, कर दाता अपनी संपत्ति का स्वयं आंकलन सरकार की कर नीति के अनुसार कर सकते हैं, स्वयं आंकलन से कर जमा करने पर कर की गणना में 10% से अधिक भिन्नता पाये जाने पर गलत घोषणा की दशा में कर अंश की राशि के समकक्ष शास्ति उदग्रहीत की जायेगी।
* हरियाणा सरकार की अधिसूचना नम्बर 14/153-2011-4C/दिनांक 24-10-2011 के अनुसार ठोस कूड़ा प्रबन्धन के लिए User Charges लगाये हुए हैं, जिस की गणना निम्न तालिका के कॉलम W व X में वर्णित की गयी है। यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष का अग्रिम user charges जमा करता है तो वह एक वर्ष के user charges पर 10% छूट का पात्र होगा। परन्तु यह छूट प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई तक user charges जमा कराने पर दी जाएगी।

सर्वेक्षण के अनुसार नगर निगम द्वारा लगाए गए करो का विवरण / As per survey, details of the taxes imposed by the Municipal Corporation


| Property and Fire Tax Details (Amount in Rupees) | | | | | | | | |
|--|-------|----------|--------------|----------------|-------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| Total Plot Area (Sqr. Yrd) | Floor | Category | Sub Category | Covered Area | Usage (S/R) | Tax Rate (₹) | Property Tax Annual (₹) | Fire Tax Annual (₹) |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 120.00 | GF | Resi | - | 900.00 | S | 0.750 | 75.00 | 0.00 |
| - | GF | Resi | - | 180.00 | S | 0.750 | 15.00 | 0.00 |
| Total: | | | | 1080.00 | | | 90.00 | 0.00 |
| Payable Annually: | | | | | | | | 90.00 |

| Property Tax Collection & Arrear Detail (Amount in Rupees) | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------------|------------|--|------------|-------------------------|------------|---------------------|-------|
| Arrear as on 31/03/2011 | | Demand from 01/04/2011 to 31/03/2018 | | Collection from 01/04/2011 to 31/03/2018 | | Arrear as on 01/04/2018 | | Interest | Total |
| P. Tax (₹) | F. Tax (₹) | P. Tax (₹) | F. Tax (₹) | P. Tax (₹) | F. Tax (₹) | P. Tax (₹) | F. Tax (₹) | @1.5% per month (₹) | (₹) |
| J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
| 0.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| User Charges Details (Amount in Rupees) | | | | |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Total Plot Area (Sqr. Yrd) | Property Category | User Charges Rate (monthly) (₹) | User Charges Amt (annual) (₹) | |
| T | U | V | W | |
| 120.00 | Resi | 40 | 480 | |
| | | | X | |
| | | | 432 | |

| | | |
|---|--|--------------|
| Payment can be deposited at the office of Municipal Corporation, Rohtak, through an A/c payee cheque or a demand draft in favour of, 'Commissioner, Municipal Corporation, Rohtak'. No Cheque will be accepted until the 'Permanent property ID', 'phone number', 'assessment year' is mentioned on the back of cheque. | Property Tax (Y) = (H + P + R): | ₹ 90.00 |
| | 10% Rebate if complete amount paid by 31-07-2018: | ₹ -9 |
| | Property Tax by 31-07-2018 (Z): | ₹ 81 |
| | Fire Tax (AA) = (I + Q): | ₹ 0.00 |
| | Payment Rcvd in 2018-19 (P. Tax + F. Tax + Interest + User Charges) (AB): | ₹ 0.00 |
| | Grand Total (X + Z + AA - AB): | ₹ 513 |
| If paid after 31-07-2018 - Grand Total (W + Y + AA - AB): | | ₹ 570 |

यह बिल कंप्यूटर द्वारा मुद्रित है अतः इस पर नगर निगम, रोहतक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर पूर्व मुद्रित है। This is Computer generated bill, Hence the signature of Authorised Official of M.C. Rohtak is already printed.


नगर निगम, रोहतक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर/
Signature of Authorised Official of M.C. Rohtak